प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन (उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बहराईच, गोण्डा।

**दुग्ध विकास अनुभाग-2** **लखनऊः दिनांक 12 दिसम्बर, 2019**

**विषय**-वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-सामान्य) अनुदान संख्या-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 के पत्रांक-642/दुग्ध-4/नियो0/सुदृढ़ी0 सामान्य/2019-20, दिनांक-04.12.2019 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 4150.00 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत की सीमा में शासनादेश संख्या-16/2019/597/53-2-19-2(119)/15, दिनांक 08 मई, 2019 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0 2075.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। सन्दर्भगत योजना की अवशेष धनराशि रू0 2075.00 लाख (रू0 बीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल **संलग्नक** के अनुसार सम्बन्धित अधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रश्नगत योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रथम किश्त की धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने एवं शासन को उपलब्ध कराने का दायित्व विभाग का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में जमा किया जाता है जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो उस ब्याज की राशि को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व विभाग/प्रशासकीय विभाग को होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु है। धनराशि का व्यय जिन कार्यों/ मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजना में व्यय किया जायेगा। किसी अन्य मद में किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि मं से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ /समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(5) परिव्यय की उपलब्धता विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिला योजना अनुश्रवण समिति से अनुमोदित परिव्यय के अन्तर्गत ही किया जायेगा। उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी।

(6) स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग दुग्ध व्यवसाय को सुदृढ़ करने हेतु किया जायेगा तथा किसी भी दशा में अनुत्पादक मद में इसका व्यय/ उपयोग नही किया जायेगा।

(7) स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण /व्यय करते समय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2019 /बी-1-170/दस- 2019-2312019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

....2/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(9) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(10) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक खाते/पी0एल0ए0/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(11) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(12) अगली वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

**2-** उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखा शीर्षक- **''2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-04-वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान (जिला-योजना)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग की अ0शा0सं0-यू0ओ0-ई-1-1171/दस-19, दिनांक- 11 दिसम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

**भवदीय,**

**(राजेन्द्र सिंह)**
**विशेष सचिव।**

**संख्या- 25 /2019/1599(1)/53-2-2019, तददिनांक।**

**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।

.....3/-

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
11- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
13- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
14- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
15- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
16- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**( बिन्द गोपाल द्विवेदी)**
**अनु सचिव ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-25/2019/1599/53-2-19-2(119)/15, दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2019-20 मे वर्तमानं दुग्ध संघो के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति

जिला योजना (सामान्य)

(धनराशि लाख रू0 में)

| क्र० | जनपद | आहरण वितरण अधिकारी/ निवर्तन अधिकारी का पदनाम | दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढीकरण, पुनर्गठन व विस्तार (सामान्य) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | स्वीकृति मदें | | | |
| | | | कार्यशील पूंजी | यातायात अनुदान | प्रबन्धकीय अनुदान | कुल धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | आगरा | दु0वि0अ0 आगरा | 22.440 | 4.620 | 116.280 | **143.340** |
| 2 | मैनपुरी | उप दु0वि0अ0 मैनपुरी | 13.200 | 3.300 | 0.000 | **16.500** |
| 3 | मथुरा | दु0वि0अ0 आगरा | 6.600 | 0.000 | 13.640 | **20.240** |
| 4 | फिरोजाबाद | -तदैव- | 12.240 | 1.230 | 0.000 | **13.470** |
| 5 | अलीगढ़ | दु0वि0अ0 आगरा | 15.460 | 5.280 | 61.960 | **82.700** |
| 6 | एटा | -तदैव- | 7.920 | 3.460 | 0.000 | **11.380** |
| 7 | झॉसी | उप दु0वि0अ0 झॉसी | 20.320 | 4.620 | 11.840 | **36.780** |
| 8 | जालौन(उरई) | उप दु0वि0अ0 जालौन(उरई) | 3.260 | 1.310 | 0.000 | **4.570** |
| 9 | हमीरपुर | उप दु0वि0अ0 हमीरपुर | 2.610 | 7.050 | 0.000 | **9.660** |
| 10 | महोबा | उप दु0वि0अ0 महोबा | 1.980 | 0.790 | 0.000 | **2.770** |
| 11 | बॉदा | उप दु0वि0अ0 बॉदा | 0.000 | 0.000 | 46.540 | **46.540** |
| 12 | चित्रकूट(कर्बी) | -तदैव- | 2.810 | 0.920 | 0.000 | **3.730** |
| 13 | लखनऊ | दु0वि0अ0 लखनऊ | 38.280 | 0.000 | 32.340 | **70.620** |
| 14 | रायबरेली | -तदैव- | 33.000 | 0.000 | 0.000 | **33.000** |
| 15 | हरदोई | -तदैव- | 9.900 | 0.000 | 0.000 | **9.900** |
| 16 | उन्नाव | -तदैव- | 16.500 | 0.000 | 0.000 | **16.500** |
| 17 | सीतापुर | -तदैव- | 16.860 | 0.000 | 0.000 | **16.860** |
| 18 | लखीमपुर-खीरी | उप दु0वि0अ0 लखीमपुर-खीरी | 32.340 | 0.000 | 0.000 | **32.340** |
| 19 | बरेली | उप दु0वि0अ0 बरेली | 3.300 | 1.650 | 35.270 | **40.220** |
| 20 | बदॉयू | -तदैव- | 6.860 | 2.810 | 0.000 | **9.670** |
| 21 | पीलीभीत | उप दु0वि0अ0 पीलीभीत | 1.980 | 0.660 | 0.000 | **2.640** |
| 22 | शाहजहॉपुर | उप दु0वि0अ0 शाहजहॉपुर | 27.060 | 4.620 | 0.000 | **31.680** |
| 23 | मेरठ | दु0वि0अ0 मेरठ | 62.880 | 0.000 | 17.610 | **80.490** |
| 24 | गाजियाबाद | -तदैव- | 15.840 | 0.000 | 0.000 | **15.840** |
| 25 | गौतमबुद्धनगर(नोएडा) | -तदैव- | 3.300 | 0.000 | 0.000 | **3.300** |
| 26 | बुलन्दशहर | -तदैव- | 36.960 | 0.000 | 0.000 | **36.960** |
| 27 | सहारनपुर | दु0वि0अ0 मेरठ | 5.280 | 2.640 | 0.000 | **7.920** |
| 28 | मुजफ्फरनगर | -तदैव- | 13.200 | 6.600 | 41.330 | **61.130** |
| 29 | शामली | -तदैव- | 3.300 | 1.530 | 0.000 | **4.830** |
| 30 | मुरादाबाद | उप दु0वि0अ0 रामपुर | 45.080 | 5.760 | 88.960 | **139.800** |
| 31 | अमरोहा (जे0पी0 नगर) | -तदैव- | 35.640 | 3.300 | 0.000 | **38.940** |
| 32 | रामपुर | -तदैव- | 7.260 | 1.320 | 0.000 | **8.580** |
| 33 | बिजनौर | -तदैव- | 46.200 | 2.640 | 0.000 | **48.840** |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | वाराणसी | उप दु0वि0अ0 वाराणसी | 16.540 | 5.280 | 23.360 | **45.180** |
| 35 | चन्दौली | -तदैव- | 21.780 | 5.280 | 0.000 | **27.060** |
| 36 | गाजीपुर | -तदैव- | 9.900 | 1.980 | 0.000 | **11.880** |
| 37 | जौनपुर | -तदैव- | 9.900 | 1.980 | 0.000 | **11.880** |
| 38 | सन्तरविदासनगर | उप दु0वि0अ0 वाराणसी | 1.870 | 0.160 | 0.000 | **2.030** |
| 39 | मिर्जापुर | उप दु0वि0अ0 मिर्जापुर | 7.920 | 1.190 | 0.710 | **9.820** |
| 40 | सोनभद्र | उप दु0वि0अ0 सोनभद्र | 5.280 | 0.660 | 0.000 | **5.940** |
| 41 | गोरखपुर | उप दु0वि0अ0 गोरखपुर | 44.960 | 3.960 | 49.480 | **98.400** |
| 42 | महराजगंज | उप दु0वि0अ0 महराजगंज | 1.870 | 0.880 | 0.000 | **2.750** |
| 43 | देवरिया | उप दु0वि0अ0 देवरिया | 24.040 | 2.640 | 0.000 | **26.680** |
| 44 | कुशीनगर | -तदैव- | 3.950 | 1.650 | 0.000 | **5.600** |
| 45 | बस्ती | उप दु0वि0अ0 बस्ती | 12.540 | 4.620 | 21.470 | **38.630** |
| 46 | सिद्धार्थनगर | उप दु0वि0अ0 सिद्धार्थनगर | 0.590 | 2.070 | 0.000 | **2.660** |
| 47 | आजमगढ़ | उप दु0वि0अ0 आजमगढ़ | 8.300 | 1.320 | 7.820 | **17.440** |
| 48 | मऊ | उप दु0वि0अ0 मऊ | 0.000 | 0.380 | 0.000 | **0.380** |
| 49 | बलिया | -तदैव- | 17.070 | 2.310 | 0.000 | **19.380** |
| 50 | प्रयागराज | दु0वि0अ0 प्रयागराज (इलाहाबाद) | 9.430 | 5.660 | 181.440 | **196.530** |
| 51 | फतेहपुर | -तदैव- | 4.620 | 1.320 | 0.000 | **5.940** |
| 52 | प्रतापगढ़ | उप दु0वि0अ0 प्रतापगढ़ | 7.920 | 2.640 | 0.000 | **10.560** |
| 53 | कानपुर नगर | उप दु0वि0अ0 कानपुर | 0.000 | 0.000 | 91.090 | **91.090** |
| 54 | कानपुर देहात | -तदैव- | 10.900 | 3.430 | 0.000 | **14.330** |
| 55 | फर्रूखाबाद | -तदैव- | 20.800 | 4.620 | 0.000 | **25.420** |
| 56 | कन्नौज | -तदैव- | 18.800 | 5.940 | 0.000 | **24.740** |
| 57 | इटावा | -तदैव- | 7.920 | 1.980 | 0.000 | **9.900** |
| 58 | अयोध्या | उप दु0वि0अ0 अयोध्या (फैजाबाद) | 19.800 | 1.320 | 59.140 | **80.260** |
| 59 | अम्बेडकरनगर | उप दु0वि0अ0 अम्बेडकरनगर | 38.940 | 2.310 | 0.000 | **41.250** |
| 60 | सुल्तानपुर | -तदैव- | 23.100 | 1.320 | 0.000 | **24.420** |
| 61 | बाराबंकी | उप दु0वि0अ0 अयोध्या (फैजाबाद) | 30.360 | 2.310 | 0.000 | **32.670** |
| 62 | गोण्डा | उप दु0वि0अ0 गोण्डा | 3.300 | 1.980 | 21.710 | **26.990** |
| 63 | बलरामपुर | -तदैव- | 14.520 | 1.190 | 0.000 | **15.710** |
| 64 | श्रावस्ती | उप दु0वि0अ0 बहराइच | 5.940 | 0.000 | 0.000 | **5.940** |
| 65 | बहराइच | -तदैव- | 40.480 | 1.320 | 0.000 | **41.800** |
| कुल योग | | | **1013.200** | **139.810** | **921.990** | **2075.000** |

(रू0 बीस करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

**( बिन्द गोपाल द्विवेदी)**
**अनु सचिव।**

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in